भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1341**

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023/10 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया

**प्रेडेटरी ऋण आवेदनों का विनियमन**

1341. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में प्रेडेटरी ऋण आवेदनों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रेडेटरी ऋण आवेदनों की राज्य-वार सूची तैयार करने का प्रयास किया है;

(ग) क्या सरकार को प्रेडेटरी ऋण ऐप्स के विनियमन के संबंध में हितधारकों, किन्हीं राज्यों अथवा सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कोई टिप्पणियां या सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने ऐसे प्रेडेटरी ऋण ऐप्स के पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

**(क) से (घ):** अनधिकृत ऋण एप के प्रसार को रोकने के लिए और डिजिटल उधार तंत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जारी किए हैं। उक्त नियम में इस प्रकार के एप, जो मौजूदा कानून के तहत अवैध माने जाते हैं, को किसी उपयुक्त सरकार या इसकी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्ले स्टोर/एप स्टोर (मध्यवर्तियों) से हटाए जाने का उपबंध किया गया है।

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) ने संबंधित मध्यवर्ती (एप स्टोर) से यह कहा है कि वे केवल आरबीआई की सूची में और अपने एप स्टोर में शामिल ऋण एप्स को ही होस्ट करें।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23.12.2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आम जनता को सतर्क किया था कि वे शीघ्र और निर्बाध ऋण प्रदान करने के वादे वाले बढ़ते अनधिकृत डिजिटल उधार प्लेटफॉर्म/मोबाइल एप्स के जाल में न फंसें और ऑनलाइन या मोबाइल एप्स के माध्यम से ऋण का प्रस्ताव देने वाली कंपनी/फर्म के पूर्ववृत्त का सत्यापन भी करें।

(iv) आरबीआई ने अनधिकृत ऋण एप्स सहित साइबर-अपराधों के विरुद्ध विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात), ग्राहक शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) आरंभ किए हैं। आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) का

भी आयोजन करता रहा है और बैंकों को वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से विशेष शिविरों का आयोजन करने की सलाह दी गई है।

आरबीआई ने विनियमित वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल उधार संबंधी कार्यकलापों के सभी पहलुओं के साथ-साथ अविनियमित इकाइयों द्वारा डिजिटल उधार का अध्ययन करने के लिए डिजिटल उधार, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के माध्यम से उधार देना शामिल है, के संबंध में एक कार्य समूह (डब्ल्यूजी) का गठन दिनांक 13.1.2021 को किया था। बैंकों, एनबीएफसी, उद्योग संघों, विधि फर्मों, सरकारी एजेंसियों, व्यक्तियों आदि सहित विभिन्न हितधारकों वाले कार्यसमूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने विनियामकीय चिंताओं को कम करते हुए डिजिटल उधार पद्धतियों के माध्यम से ऋण देने की व्यवस्थित प्रगति में सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 2.9.2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से डिजिटल उधार के संबंध में विनियामकीय दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, पीड़ितों को राहत देने के लिए विभिन्न निवारण तंत्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) डिजिटल उधार के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के माध्यम से विनियमित संस्थाओं (आरई) को उधारकर्ता को वार्षिक आधार पर प्रमुख तथ्य विवरण (केएफएस) में डिजिटल ऋणों की अग्रिम सर्व-समावेशी लागत, लगाए जाने वाले दंडात्मक ब्याज/प्रभारों, यदि कोई हो, को प्रकट करने का अधिदेश दिया गया है। साथ ही, विनियमित संस्थाओं को यह अधिदेश भी दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उधार सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) को देय किसी प्रकार का शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान सीधे उनके द्वारा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके और उनके द्वारा काम पर रखे गए एलएसपी में एक उचित शिकायत निवारण तंत्र जैसे शिकायत निवारण अधिकारियों का ब्यौरा, शिकायत दर्ज करने की सुविधा आदि मौजूद हो।

(ii) आरबीआई-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत, विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने, जिसमें सेवा में कमी और शिकायतकर्ता को हुए किसी नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में राहत प्राप्त करना शामिल है, के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

(iii) आरबीआई द्वारा अनधिकृत संस्थाओं के अवैध कार्यकलापों के विरुद्ध जनता द्वारा ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति तंत्र के अंतर्गत एक पोर्टल, सचेत, की स्थापना की गई है।

(iv) सभी प्रकार के साइबर अपराध की कहीं से भी रिपोर्टिंग किए जाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरप) की स्थापना की गई है। साथ ही, साइबर वित्तीय धोखाधड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए जनता को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 उपलब्ध कराया गया है।

******